



बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC-1110

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पर्यावरण एवं वन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 05/10/2018

विषय— पटना एवं औरंगाबाद जिलान्तर्गत 400 KV D/C नवीनगर—पटना पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/TRANS/27209/2017/2210, दिनांक 18.05.2018,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्रांक ER-1/PT/NAE-PAT/W-9/1859 दिनांक 06.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है—

SI No	MoEF&CC राँची पत्र दिनांक 18.05.2018 में निहित कंडिका	अनुपालन
1	Legal Status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित अपयोजित होने वाली वन भूमि के वैधानिक स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जायेगा।
2	The State Govt. shall charge the net present value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India Dated 28.03.2018, 24.04.2018 and 09.05.2018 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 1.8446 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से रु० 11,54,720/- (रु० ग्यारह लाख चौवन हजार सात सौ बीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।



3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Government from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि NPV की राशि में अगर किसी प्रकार का संशोधन होता है तो उनके द्वारा अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
4	Compensatory Afforestation over the degraded forest land twice in extent to the forest land being diverted shall be raised and maintained by the State Forest department at the cost of the user agency. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 year (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण की कुल राशि रु० 19,28,933/- (रु० उनीस लाख अठाईस हजार नौ सौ तैतीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।
5	User agency should ensure that the compensatory levies (CA cast, NPV, cost of dwarf species palntation etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV, क्षतिपूरक वनीकरण की कुल राशि रु 30,83,653/- (रु० तीस लाख तीरासी हजार छः सौ तीरपन) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. SBIN118158670229 है एवं राशियाँ Ministry website पर प्रदर्शित है। साथ ही बौनी प्रजाति के पौधारोपण की राशि रु. 22,30,907/- (बाईस लाख तीस हजार नौ सौ सात रुपये) मात्र को भी ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. UBINH18269274231 है।
6	The boundary of the forest land proposed for diversion, shall be demarcated on ground at the project cast, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from adjoining pillars etc.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है इस परियोजना में यह शर्त applicable नहीं है।
7	Transmission Lines should be aligned such a way that it involves the least amount of tree cutting. Felling of trees on the forest land being diverted shall be restricted to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9	The user Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas for collection of firewood for their use.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।



10	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers, staff engaged in construction activity o not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
11	The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
12	Width of right of Way for the Transmission Line shall be limited to 46m.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
13	The user agency shall install circuit breakers at suitable place besides maintaining necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals like elephant.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
14	To minimize the felling of trees for construction of Transmission Line, user agency shall comply with the following guidelines:	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	The normal width clearance below each conductor or conductor bundle in case of 400 kv D/C line will be 7m only. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Outer strip may be left clear to permit maintenance of the Transmission Line.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
c	In the remaining width of Right of Way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local Forest Officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. Trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 2.8 meter clearance between conductors and trees. The maximum sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	The scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably Beer, Sharifa) in Right of Way under the Transmission Line, as prepared by the State Forest Department shall be implemented from the funds provided by the user agency and a scheme for this shall be submitted.	छोटी प्रजाति के पौधों के रोपण की राशि को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR No. UBINH18269274231 है।
e	In case a portion of the Transmission Line to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be felled.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना का कोई भी भाग पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है।
15	The user agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, who's nesting trees are to be cleared in the project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements adjoining the forest area being diverted for the project.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।



16	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
17	The forest land proposed for diversion shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
18	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
19	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulation and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
20	Any other conditions that the ministry of Environment, Forest and Climate Change may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.8446 हे० सुरक्षित वन घोषित भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage-II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक- 05/10/2018

ज्ञापांक- FC - 1111.0

प्रतिलिपि : वन संरक्षक पटना अंचल, पटना/गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना/औरंगाबाद को सूचना हेतु प्रेषित।

ह०/-

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

दिनांक- 05/10/2018

ज्ञापांक- FC - 1111.0

प्रतिलिपि : मुख्य प्रबंधक, पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., पटना को सूचना हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

0/c